न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़, जिला- रायगढ़ (छ०ग०)द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक 228/2023 संबंधित आरक्षी केन्द्र- सरसींवा, चौकी बैलादुला, जिला-सारंगढ-बिलाईगढ़ (छ०ग०) अपराध क्रमांक 312/2023, धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम - छतराम महिलाने पिता स्व० रामसिंग महिलाने, उम्र 35 वर्ष, निवासी-ग्राम दुरूग, चौकी बैलादुला थाना सरसींवा, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) विरूद्ध शासन के मामले में, जमानत आदेश दिनांक 24.08.2023 की प्रति

24-08-2023 आवेदक/अभियुक्त छतराम महिलाने ओर से श्री यशपाल सिंह अधिवक्ता ।
अनावेदक/अभियोजन द्वारा श्री ए०के०शर्मा अपर लोक अभियोजक ।

चौकी बैलादुला थाना सरसींवा, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) से केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। केस डायरी के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भटगांव द्वारा दिनांक 21.08.2023 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन में जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि, आवेदक/आरोपी दिनांक 19.08.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है, आवेदक/आरोपी निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा व रंजिशवश शंका में फंसाया गया है, आवेदक/आरोपी ग्राम दुरूग, चौकी बैलादुला थाना सरसींवा का निवासी है, जहां पर उसके चल एवं अचल संपत्ति स्थित है, जमानत का लाभ दिए जाने से उसके अन्यत्र पलायन की संभावना नही है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है । अतः आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है ।

आवेदन के समर्थन में आवेदक/आरोपी पत्नी श्रीमती रानी महिलाने द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यक्त किया गया है कि, उक्त प्रकरण में यह **प्रथम जमानत आवेदन पत्र** है । इसके अतिरिक्त अन्य किसी सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष कोई जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है ।

अपर लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का घोर विरोध करते हुए निरस्त करने की प्रार्थना की गई है ।

जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष तर्क हेतु तैयार हैं, अतः उनके तर्क सुने गये ।

श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराध की गंभीरता तथा प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर जमानत आवेदन दिनांक 21.08.2023 को निरस्त किया गया है ।

केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

प्रथम दृष्टया, केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि, आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध चौकी बैलादुला थाना सरसींवा के अपराध क्रमांक 312/2023 पर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत विवेचना जारी है । प्रथम दृष्टया, आवेदक/आरोपी से 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब की जप्ती हुई है एवं इस आशय का अनुसंधान जारी है कि 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब को आवेदक/ आरोपी अवैधानिक रूप से आधिपत्य में रखे होना पाये गये हैं ।

छ०ग०आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2011 के अनुसार 5 बल्क लीटर से अधिक शराब जप्त होने पर धारा 34 (2) छ०ग० आबकारी अधिनियम का प्रावधान आकर्षित हो जाता है । उक्त अधिनियम की धारा 41 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के आधिपत्य में मादक द्रव्य पाया जाता है तो उस व्यक्ति के कब्जे में होने की उपधारणा की जायेगी । उक्त अधिनियम की धारा 59 (क) के अनुसार यदि अभियुक्त से जप्त मदिरा 5 बल्क लीटर से अधिक हो तो अभियुक्त को जमानत पर तब तक नही छोड़ा जाएगा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नही हो जाता है या कि यह विश्वास करने का युक्ति–युक्त आधार है कि, अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नही है और यह कि जब वह जमानत पर हो, तब यह संभावना नही है कि, वह कोई अपराध करेगा ।

धारा 34 (2) छ०ग० आबकारी अधिनियम के तहत यह प्रावधानिक है कि, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश के, या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास की किसी शर्त का उल्लंघन में मादक द्रव्य को बेचेगा वह भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय होगा ।

प्रथम दृष्टया, केस डायरी के अवलोकन से आवेदक/आरोपी के विरुद्ध बिक्री के लिए एक 15 लीटर क्षमता वाले पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बा में लगभग 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब अवैधानिक रूप से रखने के संबंध में मामला अन्वेषणाधीन है।

प्रथम दृष्टया, आरक्षी केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक पु०/चौ०/बेलादुला/अप०–312/2023, दिनांक 23.08.2023 के साथ आवेदक/आरोपी के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड की सूची संलग्न है जिसमें आवेदक/आरोपी के विरूद्ध 1. इस्तगाशा क्रमांक 07/2022 पर धारा 107 एवं धारा 116(3) जा० फौ० तथा 2. अपराध क्रमांक 229/2022 पर धारा 34(ए) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज होना भी उल्लेखित है । धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध में पूर्व में अभियुक्त की संलिप्तता, आदतन अपराधी होने के बिंदु संबंधी तथ्यों को भी Observation में लिया जाना होता है ।

प्रथम दृष्टया, प्रस्तुत मामले की परिस्थितयों में पुनः आवेदक/आरोपी द्वारा कारित की गई आबकारी अधिनियम के तहत अपराध की परिस्थिति के प्रकाश में विवेचना की लंबन अवस्था, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता एवं जप्तशुदा द्रव्य की मात्रा के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

फलतः आवेदक/अभियुक्त छतराम महिलाने की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जावे एवं आदेश की एक प्रति केस डायरी के साथ संलग्न हो । केस डायरी संबंधित थाने को वापस लौटायी जावे ।

प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे ।

सही/–

(कु० राधिका सैनी)

अपर सत्र न्यायाधीश,

सारंगढ़, जिला– रायगढ़ (छ०ग०)